



राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان



National Council for Promotion of Urdu Language

Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India

Farogh-e-Urdu Bhawan, FC-33/9, Institutional Area, Jasola, New Delhi-110025

Ph.: 011-49539000, Fax: 011-49539099, Website: www.urducouncil.nic.in, E-mail: director@ncpul.in

सूचना

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् उर्दू भाषा व साहित्य के विकास के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रही है। इस सम्बंध में परिषद् विभिन्न स्कीमों के तहत साहित्यकारों/स्वयं सेवी संगठनों/अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:

- **पांडुलिपियों (उर्दू/अरबी/फारसी) के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम:** इस स्कीम के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों की क्रमबद्धता व चयन, ग्रंथ-सूची, शब्दकोश, ज्ञान संबंधी, साहित्यिक, शोध परक, आलोचनात्मक और संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एम.फिल, पीएच.डी. आदि के शोध पत्रों आदि पर कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता पाने के लिए टाईप की हुई पांडुलिपियां ही स्वीकार्य होंगी। इसके अतिरिक्त, पांडुलिपियां कम से कम 100 पृष्ठों पर आधारित हों, तथा व्यापक/विस्तृत 'मुकद्दमे' के बिना पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। रचनात्मक अनुसंधान और महत्वपूर्ण शोध के आधार पर पांडुलिपियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता स्कीम:** इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट के लिए संदर्भ पुस्तकों, दुर्लभ पांडुलिपियों की विस्तृत सूची/शब्दावली निर्माण, दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन, प्राचीन पांडुलिपियों का प्रकाशन अनुवाद सहित, क्लासिक्स की नकल लिप्यांतरण आदि पर विचार किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ प्रोजेक्ट का विस्तारपूर्वक खाका 5 से 10 पृष्ठों के साथ अध्याय पर आधारित उर्दू में होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में खाका (Synopsis) का प्रारूप राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- **पुस्तकों/पत्रिकाओं/जर्नलों की थोक खरीदारी की स्कीम:** इस स्कीम के नियम वही हैं जो पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता के लिए तय हैं, लेकिन वह पुस्तकें जिनके लिए किसी संस्था ने वित्तीय सहायता दी हो या जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया गया हो, खरीदारी के लिए योग्य नहीं होंगी। पुस्तकें पूर्व और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रकाशित होनी चाहिए। वही पत्रिकाएं/जर्नल खरीदारी के लिए पात्र होंगी जो रजिस्टर्ड (आर.एन.आई.) हों, एक वर्ष से अधिक समय से प्रकाशित हो रही हों और जिनकी कम से कम पांच सौ प्रतियां प्रकाशित होती हों।
- **एक वित्तीय वर्ष की अवधि में परिषद् की स्कीम पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता/थोक खरीदारी/प्रोजेक्ट की सिर्फ एक स्कीम के लिए वित्तीय सहायता का आवेदन अपेक्षित है। एक से अधिक स्कीम के लिए आवेदन रद्द माना जाएगा।**
- **सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला के लिए वित्तीय सहायता स्कीम:** इस स्कीम के तहत स्वयंसेवी संगठनों/विश्वविद्यालयों/अन्य संस्थाओं को, भाषाई साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के विषयों पर सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्वयंसेवी संगठन/सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य संस्थाएं जो केंद्रीय या राज्य स्तर पर तीन वर्षों से रजिस्टर्ड हों और NGO Portal Darpan <http://ngodarpan.gov.in> पर पंजीकृत हों, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् की वेबसाइट से संबंधित स्कीम की विस्तृत जानकारी और फार्म डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय को 1 मई से 31 मई 2022 के बीच वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आवेदन भेज सकते हैं।

प्रोफेसर शेख अकील अहमद
निदेशक